भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय गोड्डा

आर0ई0आर0 वाद सं0–72 / 2015–16

बैलू लैया...............................वादी

बनाम्

मनोज झा वगै0..................................प्रतिवादी

–:आदेश:–

13/05/23

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक–बैलु लैया, पे0–गणेश लैया, साकिन–गुम्मा, अंचल–गोड्डा, जिला–गोड्डा ने मौजा–गुम्मा के जमाबंदी संख्या–76, दाग नं0–1335, एवं 1336 रकवा–00–03–04 धुर जमीन से विपक्षी मनोज झा वो अमोल झा वो सुभाष झा वो विभाष झा, पे0–स्व0 मानधन झा, साकिन–गुम्मा, अंचल–गोड्डा जिला–गोड्डा को उच्छेद करने के लिए लाया गया है। दोनों पक्ष पुकार पर अनुपस्थित रह रहे है। प्रस्तुत वाद में अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख से स्पष्ट है कि आवेदक इस वाद में आवेदन की तिथि के पश्चात अबतक अनुपस्थित रहे है। विपक्षीगण इस वाद में कभी उपस्थित नहीं हुए है।

प्रस्तुत वाद में अंचल अधिकारी पोड़ैयाहाट का पत्रांक–455 / रा0 दिनांक–22.06.2018 का जॉच प्रतिवेदन संलग्न है। जॉच प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी पाड़ैयाहाट द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि जमाबंदी नं0–76 के दाग नं0–1335 रकवा–00–00–19 धुर एवं दाग नं0–1336 रकवा–00–02–05 धूर जमीन से विपक्षी को उच्छेद करने हेतु आवेदन दाखिल किया गया है। जबकि नक्शा एवं खाता खतियान से मिलान करने पर यह पाया गया की जमाबंदी नं0–76 के अन्दर दाग नं0–1335 है जिसका रकवा–00–00–19 धूर पर जमाबंदी रैयत का पोता छोटू लैया का मकान है। प्रतिवेदन में यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि दाग नं0–1336 जमाबंदी नं0–76 के अन्तर्गत नहीं आता है। बल्कि यह गैरमजरूआ खाता सं0–104 के अन्तर्गत है। जहां माँ काली का मंदिर है। विपक्षीगण का उपरोक्त जमीन पर किसी प्रकार का दखल कब्जा नहीं है। एवं जाँच प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक का शिकायत गलत है एवं वाद खारिज करने की अनुशंसा की गयी है।

अतः उपरोक्त वाद के अवलोकन एवं जॉच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि यह वाद आवेदक द्वारा गलत रूप से लाया गया है। एवं आवेदक की लगातार अनुपस्थिति से स्पष्ट है कि आवेदक को इस वाद में कोई अभिरूची नहीं रह गई है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में वाद को खारिज किया जाता है।

Digitally signed by MITHILESH KUMAR CHOUDHARY
Date: 2024.09.04 12:34:59 +05:30
Location: 192.168.29.124

लिखवाया एवं शुद्ध किया

13.5.23 | 13.5.23
भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, गोड्डा। | भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, गोड्डा।